संख्या–1538/71–4–2019–एन–8/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2019

विषयः– दशमेश चैरिटेबिल हॉस्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्तगढ़ फार्म, भीरा खीरी, तहसील पलिया कलॉं, लखीमपुर खीरी को हेल्थ वर्कर (महिला) पाठ्यकम हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–19048/2019 दिनांक 23.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दशमेश चैरिटेबिल हॉस्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्तगढ़ फार्म, भीरा खीरी, तहसील पलिया कलॉं, लखीमपुर खीरी में हेल्थ वर्कर (महिला) पाठ्यकम में 40 सीट (चालीस सीट) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण–पत्र /अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर पाठ्यकम में प्रवेश व संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीटें अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1538(1)/71–4–19–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नर्सिंग कांउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, दशमेश चैरिटेबिल हॉस्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्तगढ़ फार्म, भीरा खीरी, तहसील पलिया कलॉं, लखीमपुर खीरी द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

File No. : 18-31/14250-INC

Date: 18-03-2020

To

The Principal,

One Beat College of Medical Sciences ,
Sant Garh Farm,Bheera Kheri,Lakhimpur Up 262901, City- Bheera,Kheri, Distt.- Kheri, Pin Code- 262901, Uttar Pradesh.

Subject : Inspection U/s 13 of Indian Nursing Council Act, 1947- Suitability thereof:

Ref : Society/Trust : Dasmesh Charitable Hospital Society
Parent Hospital : One Beat Dashmesh Charitable Hospital
Institution Code : 316573 , Programme Code : 3101321

Sir/Madam,

The Executive Committee of Indian Nursing Council on the basis of Inspection conducted on **24-02-2020 & 25-02-2020** and after ascertaining the availability of Infrastructure, Teaching and Clinical facilities has found the One Beat College of Medical Sciences, City- Bheera,Kheri, Distt.- Kheri, Pin Code- 262901 **Suitable** to conduct **ANM** with intake capacity of **40 (Forty)** seats for the academic year 2020-2021.

(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

Copy forwarded for information and necessary action :

1. The Secretary (Health) ,

   Deptt. Of Health, Medical & F. W.,Room No 306,3rd Floor Vikas Bhawan Govt. Of Uttar Pradesh, Lucknow-226001. Uttar Pradesh.

P.T.O.

2. The Registrar,

   Uttar Pradesh Nurses & Midwives Council
   5-Servapalli, Mall Avenue Road Lucknow-
   226001 Uttar Pradesh.

3. Indian Nursing Council Guard File.

S/-

(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 21517/19 दिनांक 18/10/19

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस,
सन्तगढ़ फार्म, भीरा खीरी, तहसील पलिया कलॉ,
लखीमपुर खीरी।

विषय–वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्तगढ़ फार्म, भीरा खीरी, तहसील पलिया कलॉ, लखीमपुर खीरी में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–1538/71–4–2019–एन–8/2016 दिनॉक 18 सितम्बर, 2019 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनॉक 16.04.2018 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षणोंपरान्त उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति के अनुमोदनोपरान्त 40 प्रशिक्षुओं को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। जो संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि फैकल्टी को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।
2. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 31 दिसम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
3. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
4. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
5. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगें।

6. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
8. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग टयूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
9. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षायें होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी ।
10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 3,000/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 3,000/– प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
11. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।
12. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्राओं का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
13. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।
14. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000/– (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) 40 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।